राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 651/2023

नेतराम मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), अलवर।
3. तहसीलदार, तहसील रेनी, जिला अलवर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 28.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, टहटड़ा, रेणी, जिला अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को पटवार हल्का टहटड़ा से आगामी आदेश तक फील्ड कार्य नहीं कराया जाकर कार्यालय में कार्य संपादन कराए जाने का आदेश दिया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2012 में पटवारी के पद पर हुई थी और उसे गंगानगर पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 28.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को पटवार मण्डल, टहटडा, रेणी, अलवर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 14.12.2022 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को 25 दिवस की अल्पावधि में ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.07.2003 के अनुसार उसके तथ्यों पर बिना विचार किए उसे फील्ड में कार्य करने के लिए रोक दिया गया और उक्त परिपत्र के अनुसार किसी आपराधिक मामले के अंतर्गत ही नियम 16 सी.सी.ए. के तहत किसी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

अपीलार्थी को ना तो कभी दण्डित किया गया और न ही राजकीय कोष का दुरूपयोग किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही उक्त नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने हमेशा संतोषजनक सेवाएं दी है और उसके विरूद्ध कोई भी जांच लम्बित नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 26.12.2022 से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य कर रहा है और 25 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कार्य करने से रोका गया है, जो नियम विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रामेश्वर प्रसाद गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में इस प्रकार के मामलों को अनुचित बताया है। इसी प्रकार राजस्व बोर्ड, अजमेर के रजिस्ट्रार द्वारा दिशा–निर्देश दिनांक 30.01.1993 जारी किए गए हैं, जिसमें पटवारी/भू–अभिलेख निरीक्षक के स्थानान्तरण दो वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही किया जाना बताया गया है जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 25 दिवस की अल्पावधि में ही कर दिया गया है, जो उक्त दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, टहटड़ा, रेणी, जिला अलवर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in*

violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहां तक अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के द्वारा किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी जो हनुमानगढ़ से पटवार हल्का, टहटड़ा, रेणी, अलवर स्थानान्तरण किया गया है और जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से प्राप्त सूचना अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध ए.सी.बी. प्रकरण विचाराधीन होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में जिला कलक्टर, अलवर द्वारा आगामी आदेश तक पटवार हल्का, टहटड़ा में फील्ड कार्य नहीं कराये जाने का आदेश दिया गया है ना कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य